

THE BUSINESS DAILY FINANCIAL EXPRESS

Read to Lead

बाम्पल सेक्युरिटीज लिमिटेड						
 पंजीकृत कार्यालय - 100-ए, साइकिल बाजार, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 वेबसाइट: www.bampslsecurities.co.in ईमेल आईडी: bampslsecurities@yahoo.co.in टेलीफोन नंबर - 011-47523613, सीआईएन - L65100DL1995PLC065028						
30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही / छमाही के अकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार राशि (लाख में)						
विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		
	30.09.2025	30.06.2025	30.09.2024	30.09.2025	30.09.2024	31.03.2025
	अनंकेशित	अनंकेशित	अनंकेशित	अनंकेशित	अनंकेशित	अनंकेशित
परिचालनों से कुल आय	313.27	865.08	499.70	1,178.35	1,174.99	2,361.86
शुद्ध लाभ / (हानि) (कर अपवाद स्वरूप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पूर्व)	78.49	72.61	7.75	151.11	14.97	182.11
शुद्ध लाभ / (हानि) (कर अपवाद स्वरूप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	78.49	72.61	7.75	151.11	14.97	182.11
शुद्ध लाभ / (हानि) कर पश्चात् (अपवाद स्वरूप तथा / अथवा असाधारण सामग्री से पश्चात्)	52.59	54.33	5.83	106.93	8.63	135.16
वधवि हेतु कुल योग गहन आय तथा अन्य गहन तथा पूर्ण आय (कर पश्चात्)	52.59	54.33	5.83	106.93	8.63	135.16
इक्विटी शेयर पूंजी	3,403.52	3,403.52	3,403.52	3,403.52	3,403.52	3,403.52
प्रतिशेयर आय (रुपये 10/- प्रत्येक)						
मूलभूत	0.155	0.160	0.017	0.314	0.025	0.397
द्वय	0.155	0.160	0.017	0.314	0.025	0.397
नोट-						
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अधेष्टार) विनियमावली, 2015 ("सूचीकरण विनियमन") के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किया गए विकसित वित्तीय परिणामों का सारांश है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.bampslsecurities.co.in पर भी उपलब्ध है।						
2. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और बाद में 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।						
3. अनंकेशित परिणाम लेखापरीक्षकों की सीमित समीक्षा के अधीन हैं।						
4. पूर्व अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहित और / या पुनर्व्यवस्थित किया गया है।						

बोर्ड की ओर से
 हस्ता./—
भीम कुमार गुप्ता
 प्रबंध संचालक
 (डीआईएन: 00110915)

दिनांक: 24.10.2025

स्थान: नई दिल्ली



विचार करें कि QR कोडों को

 वसुली अधिकारी का कार्यालय ऋण वसुली न्यायाधिकरण - I, दिल्ली			
चौथी मंजिल जीवन लात राबिड्रज संसद मार्ग नई दिल्ली -110001 ब्रिकी उद्घोषणा सूचना			
टी.आर.सी. संख्या 1657/2022 आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 62(2) के अंतर्गत किसी भी घोषणा, साध ही बैंक एवं पत्राचार संस्थाओं को देय ऋणों की वसुली न्यायाधिकरण, 1993। (सी.बी.टी.) मैसूर. दीपायु हिमागु इंटरप्राइजेज, एफ-1, मेन बबाना रोड, समयपुर, दिल्ली -110085 (सी.बी.टी.) संजयी बीसी पुत्र गज करण सी.टी. मैसूर के प्रो. दीपायु हिमागु इंटरप्राइजेज, एफ-1, मेन बबाना रोड, समयपुर, दिल्ली-110085 (सी.बी.टी.) सुनीता सीतन पुत्री संजय सी.टी. एफ-1, मेन बबाना रोड, समयपुर, दिल्ली-110085 (सी.बी.टी.) सुधीर यादव पुत्र रमणया यादव, ए-14, यादव नगर, समयपुर, दिल्ली-110085		कर्नाटक बैंक लिमिटेड बनाम दीपायु हिमागु इंटरप्राइजेज	
1. सूची पौडसीन अधिकारी द्वारा जारी ओ.ए. संख्या 582/2016 में स्थानांतरण वसुली प्रमाणपत्र संख्या 1657/2022, ऋण वसुली न्यायाधिकरण - I में 2,44,70,321.50 रुपये की राशि, लागत और 12.75 प्रति वी की दर से मंथित के ब्याज सहित, इस आदेश के दायित्व को भी तिथि से इसकी वसुली तक संचालन करने के लिए तथा प्रमाणपत्र देनदारों से वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार लागत और प्रसार सहित 1,50,00,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया था। 2. और सूची अधोःसहाराई में उक्त प्रमाणपत्र की संतुष्टि हेतु नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित संस्थानों की बिक्री का आदेश दिया है। 3. और सूची इसके अंतर्गत 2,44,70,321.50 रुपये की राशि, लागत और 12.75 प्रति वी की दर से मंथित के ब्याज सहित, देय होगी। अतः ओ.ए. को मंथने की तिथि से लेकर इसकी वसुली तक तथा सूची प्रमाण पत्र के अनुसार 1,50,00,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के लिए, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि किसी रिश्तेदार आदेश के अभाव में, निम्नालिखित संस्थानों/संस्थानों को ई-नीलाामी द्वारा बेच जायेगा तथा बोली "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट https://banksaukuctions.com के माध्यम से दिनांक 05/12/2025 को दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे के बीच होगी, यदि आवश्यक हो तो दोपहर 01:00 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि का विस्तार किया जा सकता है। 4. ई-नीलाामी के लिए प्रस्तावित संस्थानों का विवरण इस प्रकार है।			
क्र.सं	संस्थान का विवरण	आवृत्ति मूल्य	ईएमपी
1	संस्थान संख्या 1, भुगि का क्षेत्रफल 220 वर्ग गज, आज़ादी क्षेत्रफल 1340 वर्ग फीट, चरसरा संसद 46/17, मेन समायपुर, समायपुर एक्सटेंशन नामक आवादी में स्थित, दिल्ली	रुपये 71.00 लाख	रुपये 70 लाख

[illegible]

नाम एवं पदनाम	ईमेल एवं फ़ोन नंबर
कृष्ण रावकर (मुख्य अधिकारी)	9810861880 delhiarm@kktbank.com

20. अधिकांश अश्विनी पंचमि पात्र जात्रे पतिरसी नीली सती बहोरायो को स्वीकार या अस्वीकार करने या निषेध कोई कारण बनाए किसी भी व्यक्ति नीलीमाती स्थिति करने का अधिकार प्रमाणित रखता है।
21. असफल उत्तराश्विनी की ईश्वरी, डीआरटी-1 की रजिस्ट्री से, पंचमि पात्र जैसे पत्र कार्ड, पसपेटों, मंडलता पट्टाखन पत्र, बूझ ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी पत्र सार्वजनिक उपकरणों द्वारा जारी फोटो पट्टाखन पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त की जाएगी। असफल बहोलीदाताओं को अपनी ईश्वरी, वापर करटी, ईश्वरी या अश्विनी पंचमि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो तुरंत वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, विल्लीया बंक से संपर्क करें।
22. किसी उपरिक्त नामित सीधी की संपत्ति की होशी जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है और उस संपत्ति से जुड़ी दैनंदिनीय जहाँ, जहाँ तक उनका पता लाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के अनुसार अनुसूची में निम्नलिखित हैं।
23. संपत्ति को अनुसूची में निर्दिष्ट लॉट में किसी के लिए रखा जाएगा। यदि प्राप्त होने वाली राशि संपत्ति के कुछ हिस्से की संपत्ति से पूरी हो जाती है, तो शेष राशि के संबंध में किसी तुरंत राशि की जाएगी। यदि किसी लॉट को गिराने से पहले उस प्रमाण पत्र में उल्लिखित बचत, ब्याज लागत (किसी की लागत सहित) किसी करने वाले अधिकारी को दी जा सकती है या उसकी संपत्ति के लिए वह प्रमाण दे दिया जाता है कि ऐसे प्रमाण पत्र, ब्याज और लॉट की राशि नीचे हस्ताक्षरकों को दे दी गई है, तो भी किसी रिकॉर्ड दी जाएगी।
24. पचासि, किसी के संबंध में कोई भी कार्य निम्नने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा, न ही उसने कोई हिस्से जितने करेगा और न ही उसने कोई हिस्से जितने अर्जित करने का प्रयास करेगा।
25. किसी अधिकार अधिपति, 1961 की द्वितीय अनुसूची और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन होना जिस अधिनियम में निम्नलिखित विवरण अधोहस्ताक्षरी की स्वामित्व जानकारी के अनुसार दिए गए हैं, विन्तु अधोहस्ताक्षरी इस उद्देश्यपूर्ण में किसी भी बुद्धि, धुक या कथन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
26. बोली की राशि में बुद्धि 10,000 रुपये में किसी बंद हजार रुपये के गुणज में होगी। बोली को राशि या बोली लागाने वाले के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, लॉट को तुरंत पुनः नीलीमी के लिए रखा जाएगा।
27. सारण/उच्चम बहोलीदाता को किसी भी लॉट का क्रेता घोषित किया जाएगा, बशर्त कि उसके द्वारा बोली गई राशि आश्विन स्थूल से कम न हो। यदि प्रस्तावित बहोलीदता अग्रगण्य प्रस्ताव को कि ऐसा करने उचित न हो, तो उच्चतम बहोलीमी को अस्वीकार करके अग्रेस्तता के विवेक पर निर्भर होगा।
28. सारण/उच्चम बहोलीदाता को ई-नीलीमी सारण होने के 24 घंटे के भीतर, किसी आय के 25% के लिए डीडी/ये ऑर्डर द्वारा क्रेता होगा, जो वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, विल्ली, खाफ्टी, डीआरटी-1 पसपेट 1657/2022 के पक्ष में हो और बयान किया (ईश्वरी) समायोजित करने के बाद उस वसूली अधिकारी के कार्यालय में इस प्रकार नजमा/जमा करना होगा कि वह ई-नीलीमी की स्थिति से 3 दिनों के भीतर पहुँच जाए। ऐसा न करने पर बयान राशि (ईश्वरी) जमा कर ली जाएगी।
29. सारण/उच्चम बहोलीदाता, वसूली अधिकारी, डीआरटी-1, विल्ली खाफ्टी सारण 1657/2022 के पक्ष में किसी भी शेष 75%, वसूली अधिकारी, डीआरटी-1 के संभाष संपत्ति की किसी स्थिति से 15% दिन तक या उससे पहले जमा करेगा, (उस दिन को छोड़कर), यदि वह 15% दिन रजिस्ट्रार या अन्य अवकाश हो, तो 15% दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर, 1,000 रुपये तक
26. की दर से पंशुंडे शून्य और 1000 रुपये से अधिक की किसी सफल राशि पर : की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-1 विल्ली के पक्ष में जमा करेगा। (शेष 75% राशि का हारा जमा करने की स्थिति में, वह उपरिक्त अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुँचानी चाहिए।)
27. निष्पत्ति अधिनियम के भीतर भुतान में वसूली होने की स्थिति में, किसी की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को पुनः बेचा जाएगा। यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे, तो किसी के व्यय का भुताना करने के बाद जमा राशि सरकार को जमा कर दी जाएगी और पूरकवर्ता के लॉटों पर या उस राशि के किसी भी भाग पर, जिसके लिए ऐसे बाद में बेचा जा सकता है, सभी दावों को जमा कर देगा।

[illegible]

पंजीकृत एडी/दस्ती/संपत्ति पर चिपकाना तथा डीआरटी का नोटिस बोर्ड/डोल की थाप/समाचार पत्र में प्रकाशन

बिद्वती घोषणा

कार्यालय वसुली अधिकाणी-II

ऋण वसुली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा मार्ग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

RC/7/2024 तिथि: 13.10.2024

साथ बैठा और वित्तीय स्थितियों को देव अग्रणी की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत बिक्री की घोषणा

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा अन्य

बनाम एमएस केएलजी सिस्टम लिमिटेड तथा अन्य

सीडी#2 श्री कुमुद गोयल-जी/18 डीलएफ फेज-1, गुडगांव, हरियाणा

सीडी#3 श्रीमती पुष्पलता गोयल-ज्यागीर की के.एल. गोयल की विधिक उत्तराधिकारी

जी/3#4 डीलएफ फेज-1, गुडगांव, हरियाणा

सीडी#18 श्रीमती उपरानसा गोयल-जी/18 डीलएफ फेज-1, गुडगांव

सीडी#45 श्रीमती अनुज गोयल-जी/18 डीलएफ फेज-1, गुडगांव

सीडी#46 श्रीमती रितु गोयल-जी/18 डीलएफ फेज-1, गुडगांव

सीडी#7 मेरस वरुधा कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड-जी/18 डीलएफ फेज-1, गुडगांव

चूक आया टी.ए. दाखल करने की तिथि से वसूली तक 10% आधारभूत ब्याज और प्रमाण पत्र के अनुसार देय लाभा सहित रु. 5052995872 रु. (पचास करोड़ पाँच लाख केरोड़ पचास लाख पचास हजार आठ सौ बहतर तथा पच्चीस सै माल्र) की राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, तथापि वह पीएसओ अधिनियम, अग्र वसूली न्यायधिकरण-11 दिल्ली द्वारा पारित वसूली प्रमाण पत्र टी.ए. संख्या 244/2022 के अनुसार आप पर देय हो गया है।

और जबकि अधोऋताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र की सृष्टि हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति की विक्री का आदेश दिया है।

एतावता सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थान आदेश के अभाव में उक्त संपत्ति 28.11.2025 को 3.00 बजे अर्थात् से 4.00 बजे अर्थात् के बीच (यदि अनुसूचक को, तो सम्पत्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में बोली के मामले में) स्वतः विस्तार खंड के साथ) सेवा प्रदाता निम्न अधोऋतः देनाजालीज लिमिटेड, बी-704, चॉल स्ट्रीट-2, ओरिएंट ब्लक के सामने, गुजरात कर्जित के साथ एलिविज अहमदाबाद-380006, ईमेल: support@auctiontiger.net वेबसाइट: <https://dr.auctiontiger.net> द्वारा बेची जाएगी।

संपत्ति हेतु किसी भी प्रस्ताव और निरीक्षण के मामले में, इच्छुक क्रेता संपर्क व्यक्ति, ई. मेघराज देशमुख, अधिकृत प्रहाराधिकर्ता मोहाल नगर: 7506642534, ईमेल: Meghraj.Deshmukh@edelweissarc.in से संपर्क कर सकते हैं।

नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित अथवा नामित प्रत्यावर्ती की संपत्ति की विक्री और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियाँ और दावे, जहाँ तक उनका पता लगाया गया है, और जो प्रत्येक लॉट के सामने अनुसूची में निर्दिष्ट है।

तथापि, विक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निम्नां वला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बेची गई संपत्ति हेतु अपने हित में कोई बोली नहीं लगाएगा, अर्थात् नहीं करेगा या अर्जित करके का प्रयास नहीं करेगा। ये विक्री आकांक्षित अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अनुसूची और उसके अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण अधोऋताक्षरी की सर्वोच्च जानकारी के अनुसार बताए गए हैं, लेकिन अधोऋताक्षरी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलतबयानी या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1. संपत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य और ईएम्डी निम्नानुसार है:		
क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएम्डी
1	संपत्ति कार्यालय 301, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 67, पुजित प्लाजा, सेक्टर-11, सीबीडी बेलारुप, नवी मुंबई में स्थित, भूमि क्षेत्रफल 1840 वर्ग फुट	आरक्षित राशि: रु. 22169700/- (रुपए दो करोड़ इक्कीस लाख उनहत्त हजार सात सौ मात्र) ईएमडी रु.22.16,970/-

संपत्तियाँ आरक्षित मूल्य से अधिक पर बेची जाएंगी.

2. बोली राशि रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) में बढ़ाई जाएगी। बोली राशि वाली लगेगी वाले के संबंध में किसी भी विवाद को स्थिति में, संपत्ति को तुरंत पुनर्-नीलाम कर दिया जाएगा।

3. चतुर्थतम बोली लागने वाले को क्रेता घोषित किया जाएगा। जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपेक्षित प्रतीत हो कि ऐसा करना अनुचित हो, तो उच्चतम बोली वाले को अस्थायी/स्थायिक करतार अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर निम्न होना।

4. ईएमडी 11.11.2025 को 4:00 बजे अथवा, तक वसुली अधिकारी-कक्ष ऋण वसुली न्यायाधिकार-III, दिल्ली, के पथ में डीडी/पे ऑर्डर के माध्यम से वसुली अधिकारी-III, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करनी होगी। इसके बाद बोली को गई ईएमडी नीलामी में भाग लेने के लिए मान्य नहीं होगी।

5. यदि वे स्वयं या अपने परिचित की ओर से बोली लाग रहे हैं तो पैन कार्ड, पैन व प्रमाण और पहचान पत्र, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और घोषणा पत्र की प्रति सादर लाएं। बाद की स्थिति में, उन्हें अपना प्रधिकार पत्र जमा करना होगा और ऐसा न कर पत्र पर उनकी गारंटीयों अस्थायिक कर दी जाएगी। कंपनी के मामले में, कंपनी के सचिव/सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतीति या कंपनी के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की पुष्टि कर वाला कोई जमा दस्तावेज और ऐसी जमा की रसीद/कार्डर फाउल उक्त सेवा प्रदाता को सीधे बैंक को ई-मेल या अस्था उक्त तिथि तक पहुंचानी होगी तथा हार्ड प्रति वसुली अधिकारी-III, डीआरटी-III, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

6. सफल बोलीदारा को आगले बैंक कार्य दिवस पर, अर्थात 3:00 बजे अथवा, तक ईएमडी के समायोजन के बाद अपनो अंतिम बोली राशि का 25% उपरोक्त पैरा में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त खाते में जमा करना होगा।

7. क्रेता को अंशित बोली राशि का वसू 75% संघर्ष की बिक्की को अन्तिम संघर्ष से 15वें दिनांक पर उतारते पहले जमा करना होगा। यदि 15वें दिनांक राशि या अन्य अवकाश को, तो 15वें दिनांक के बाद पहले बैंक कार्यालय दिवस को उपरोक्त पैरा 4 में बताए गए निर्धारित विधि द्वारा जमा करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त, क्रेता को वसूली अधिकारी-III, डीआरटी-III, के पास पाउंडेज शुल्क की 2% को दर से रु. 1,00,00/- तक वसूल करूँ, 1,00,00/- को अतिरिक्त राशि का 1% को दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से जमा करना होगा।
8. संघर्ष संघर्ष बोली नीलामताओं के निरीक्षण हेतु दिनांक 17.11.2025 को 11:00 बजे पूरव 11:00 बजे 30 मिनट अप्र. तक खुली रहेगी।
9. निर्धारित अवधि के भीतर बुलाने में चुक की स्थिति में, बिक्की की नई घोषणा जारी हो के बाद संघर्ष को पुनः बोली जाएगा। बिक्की के व्ययों का भुगतान करने के बाद यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे, तो जमा राशि सरकार द्वारा जमा कर ली जाणी नई चुकवाता क्रेता संघर्ष या उतर राशि के किसी भी भाग पर सभी दावों को छोड़ा जिसके लिए ऐसे बाद में चेचा जा सकता है।
10. संघर्ष की बिक्की 'नहीं है' जहाँ है तथा जो है' यदि है' के आधार पर की जा रही है।
11. अधोहस्ताक्षरी को अनुमति पाए जाने पर किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार कर अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी स्थगित करने के अधिकार सुरक्षित है।
12. इस स्तर पर अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में संघर्षों के विस्तृत राज्य/भार या के बाद का विवरण निम्नलिखित है। हालाँकि, संघर्ष में बोलतीदाताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे प्रेम की जमा करने से पूर्व अपने दिल में जल/गृहकार बिलों या किसी अन्य भाग आदि के संघर्ष में स्वयं उचित जमाना-पड़ता कर लें।

क्र.सं.	प्रधिकरण का नाम	राशि
1.	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	रु. 9,030/-
2.	नवी मुंबई नगर निगम	रु. 10,28,332/-

13. सीएच बैक को यहां दिए गए विवरणों को सत्यता को प्रमाणित करने और जांचने के लिए निदेशित किया जाता है।
दिनांक 13.18.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर द्वारा जारी

सील

(निशितोष कुमार पांडे
यसुली अधिकारी-II
डीआर-III, दिल्ली)



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda



जेन नेक्स्ट, नोएडा शाखा,
सी-25, स्टेलर आईटी पार्क, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
फोन: 0120-4324461 | ईमेल - GENOID@bankofbaroda.com

लॉकर धारकों को नोटिस – बैंक ऑफ बड़ोदा द्वारा लॉकरों के किराए का भुगतान न करने पर

यह हमारे उन मूल्यवान ग्राहकों की जानकारी के लिए है, जिन्होंने बैंक ऑफ बड़ोदा, जेन नेक्स्ट, नोएडा शाखा में लॉकर किराए पर लिए हैं और अनुबंध का उल्लंघन किया है। आरबीआई / बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, लॉकर धारकों को उनके दर्ज पत्तों पर भेजे गए नोटिस बिना सूचना के वापस आ गए हैं या उनका कोई जवाब नहीं मिला है। लॉकर धारकों से उनके दर्ज पत्तों पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के प्रयास भी विफल रहे हैं और उनका वर्तमान पता नहीं चल सका है।

अतः, कोई विकल्प न होने के कारण, यह नोटिस जारी दिए गए सभी व्यक्तियों को दिया जा रहा है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर बैंक ऑफ बड़ोदा, जेन नेक्स्ट, नोएडा शाखा से संबंधित करके बैंक का बकाया चुका दें। ऐसा न करने पर बैंक अपनी लागत, जोखिम और शिमेदारों पर लॉकर तोड़ने की कार्यवाही करेगा और बैंक इस प्रक्रिया के लिए बकाया किराया, लागत और अन्य शुल्कों की बसुली हेतु वस्तुओं पर अपने प्रबंधाधिकार के अधिकार का प्रयोग करेगा।

क्र. सं.	पुराना लॉकर नं.	नया लॉकर नं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	देय तिथि	अंतिम सूचना	अतिदेय राशि (रु. में) दिनांक 24.10.2025 तक
1.	31	3372AX0038.	नरिसर कौर रा. हरचरण सिंह	एच 1 जीएफ गेटवे, पर्ल टावर सेक्टर 44, नोएडा-201301	25.02.2022	15.04.2025	12125/-

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएगा और ग्राहक द्वारा उठाए गए किसी भी लागत, हानि या दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (लॉकर की सामग्री की किसी भी क्षति और/या हानि सहित) यदि लॉकर को तोड़ा जाता है और लॉकर सनदीकृत के प्रावधानों के अनुसार इसकी सामग्री का निपटारा किया जाता है।

 **पंजाब नैशनल बैंक**  **punjab national bank**
.....भरोसे का प्रतीकthe name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

अवल सम्पत्तियों की ई—नीलामी हेतु विक्री सूचना			
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन क्रियान्वित, आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अवल सम्पत्तियाँ जो प्रतिभूत लेनदार प्रभुता लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिये गये हैं, जो "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार			
क्र. सं.	शाखा का नाम खाता का नाम कर्जदार/गारंटर्स खाता का नाम एवं पता	प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की विक्री की अनुसूची	
		A) सहायी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि B) बकाया राशि C) सहायी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि D) कब्जा की विधित्त सांकेतिक / भौतिक/चक्रवातक	अवल सम्पत्ति बंधक / रस्सा (सम्पत्तियाँ)
1	A) सेक्टर 66 नोएडा B) श्री अनिल कुमार झा, पुत्र सारवन कुमार झा और पूनम कुमार, पत्नी अनिल कुमार झा 799100N000000241 C) सहायकता: श्री अनिल कुमार झा, प्लेट संख्या- 1/19, भूतल (पिछला भाग), ज्ञान खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201010 और श्रीमती पूनम कुमार, प्लेट संख्या- 1/19, भूतल (पिछला भाग), ज्ञान खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201010	A) 07.06.2024 B) 07.06.2024 तक रु. 85,72,425.43 + पूर्ण भुगतान होने तक अतिरिक्त भाग एवं शुल्क। C) 25.03.2025 (D) सांकेतिक	कचरी भूतल का पिछला भाग नोएडा, सहायक संख्या 66/19, प्लेट संख्या 1/19, भूतल (पिछला भाग) ज्ञान खंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201010

